EDITORIAL

BSNL Employees and the Relevance of Republic Day

The entire nation has just celebrated the 77th Republic Day with great enthusiasm. Every citizen of India, even innocent children, have begun to understand the dignity of the tricolor flag. This tricolor is a symbol of sacrifices. Thousands of people laid down their lives for this flag. We gained independence on 15th August 1947 and accepted this tricolor as our national flag. Even after the country's independence, a question loomed before the nation: a special arrangement was needed to secure and preserve the internal unity, sovereignty, and integrity of this nation. In this context, after deep research, deliberations, and continuous efforts for 11 months and 18 days by all the top leaders of that time, and with the special contribution of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar, the nation received a unique written Constitution. This Constitution adorned and shaped the Indian nation, fostering mutual unity, fraternity, socialism, secularism, civil rights, and the right of one person one vote. Along with all these rights, this Constitution was dedicated to the nation on 26th January 1950.

Through this Constitution, a democratic system was adopted for the governance of the nation. Democracy is the lifeblood for every citizen of India, and the Indian Constitution is like a protective shield. The ethos of the Constitution is that every citizen of India, even the one standing in the last row of society, will receive proper justice. However, it is extremely painful to state that the Telecommunications Department of the Government of India, which had served in nation-building for 150 years, was converted into a corporation from 1st October 2000. This corporation was named Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL).

Before the corporation came into existence, all employees of the Telecommunications Department went on a complete strike from 6th to 8th September 2000. It is true that for those three days, there was a communication blackout in India, or in other words, the nation's heartbeat stopped for three days. The government and the administrative machinery had to bow down, and the government reached an agreement with the then labor union leaders. The government accepted the demands of the employees and made a written agreement, a copy of which was published in the government gazette.

The government promised job security for employees, payment of government pension from the exchequer under the Pension Act of 1972, and to keep the newly formed corporation financially viable. However, in today's situation, all three promises lie shattered. Employees are stunned and feel cheated. Employees are being forced to ask: Does the citizenship of employees who transferred from a government department to work in the corporation with the government's full guarantee and an option become second-class? Will the right to justice enshrined in the Constitution of India for Indian citizens be denied to employees working in a government corporation? When employees plead for justice through their unions, only they can hear the echo of their voices. Their pleas do not reach the ears of the top people in the executive and legislature, or even if they do, they are ignored.

It is often seen that employees, tired and exhausted in their quest for legitimate rights, knock

on the doors of the judiciary. They usually get relief from there, but in obtaining it, they become internally shattered. This is because obtaining justice in the country involves a heavy financial burden.

All the sacrifices made by employees working in BSNL in the past for the telecommunications system have been ignored. Leaving aside the past, even after the beginning of the 21st century, employees of the Telecommunications Department spread telecom services to every village, making its facilities available to the common citizen. Even before the corporation was formed, wealthy Indian and foreign capitalists set their eyes on telecom services and, by putting pressure on the government, entered this service to amass enormous wealth, creating their own system. Under this, the government not only converted the government department into a corporation but also paved an easy way to push the government company behind by giving licenses to private companies to provide communication services. Today, the government has allocated substantial funds for high-tech-based services, but despite the use of these allocated funds, BSNL, which was the best among telecom service providing companies until 2005, lies devastated today.

It is true that this entire situation is the result of implementing government policies. However, the lower-level employees are blamed for the decline in BSNL's services. It is a ridiculous situation in itself: how can employees at the lowest rung be responsible for the reasons behind this government company running at a continuous loss? It is incomprehensible, and BSNL employees are today grappling with this dilemma that despite working tirelessly for eight hours at the behest of their officers in cold, heat, and rain, despite the cancellation of many government holidays including Sundays, they are still told that BSNL employees are the cause of revenue loss.

It is noteworthy that the high-ranking officers temporarily posted on deputation in this company, who did not deem it appropriate to get absorbed in BSNL by giving an option, but preferred to work on deputation, are receiving the benefits of the 7th Pay Commission. The increased amount due to this benefit along with their full salary and allowances are paid from the revenue earned by BSNL. On the other hand, the lowest-level workers working in the department, who work as casual laborers and temporary status laborers, have not had their wages increased since 2010. It is said that BSNL's financial condition is not good. Such workers remain in numbers of about two and a half thousand. Apart from these employees, the number of employees at the second level lower category is about twenty-six thousand, and the employees of the third category, who come under the middle-grade officer cadre, number about twenty-eight thousand. The salary revision of these two categories of employees is pending from 1st January 2017.

The former Telecommunications Minister, Shri Ravi Shankar Prasad, had said inside Parliament that BSNL is a strategic company that cannot be privatized and the government will make every possible effort from its side for the upliftment of this company. Government information reveals that the government is continuously trying, and based on information so

far, the government has spent about three lakh crore rupees on the revival of this company. However, no change in the situation is visible. In 2020, in the name of excessive expenditure on employees, over seventy-eight thousand employees were removed from BSNL under the guise of voluntary retirement.

But even after that, the average annual revenue situation in BSNL remains the same as it was before 2020. This indicates that the Ministry of Telecommunications and the Government of India are not truly concerned about the upliftment of this company. Otherwise, if the Government of India and the Telecommunications Department genuinely wanted to uplift this company with firmness, then why is this company continuously running at a loss? Is there any mechanism in this democratic system that can understand the pain of the distressed employees and provide them with proper justice? Is it appropriate to deny BSNL employees the rights granted by the Constitution to the citizens of India? If not, then the closure of all employee-related welfare schemes within BSNL, the cessation of sports and cultural activities, the stoppage of uniform allowance or other facilities for uniformed employees for the last 10 years, the discontinuation of education allowance for employees' children, the halt in annual salary increments for employees, the non-revision of salaries even after 10 years, making medical facilities lax, not maintaining staff quarters, closing the employee transfer policy - these are some issues that show that employees working in BSNL are being deprived of the rights granted by the national Constitution.

BSNL employees always work like the armed forces during national calamities. Be it any national disaster, BSNL employees always step forward to keep telecom services running, while other private companies shut down their services. During every national calamity, BSNL employees, forgetting all their financial difficulties, have donated one day's salary to the government fund. Even during the Corona period, BSNL employees donated one day's salary to provide financial assistance to 238 BSNL employees who fell victim to Covid while working to keep services running smoothly. Thus, BSNL employees, who stand with the nation at all times, having lost all facilities, are forced to work on the pay scale fixed from 2007, and their pain does not end here. Even after retirement, even after 10 years, their pensions are not being increased.

In the above situation, no one except their unbreakable unity and continuous struggle can protect the interests of all middle-grade officers and non-executive employees working in BSNL. At the same time, the government should also consider the legitimate demands of the working employees sympathetically and resolve them. It is hoped that the government will take concrete steps in this matter so that employees can work with double the enthusiasm to restore BSNL's services to their former glorious state.

NFTE Zindabad (Long Live NFTE)   Employee Unity Zindabad BSNL Zindabad

संपादकीय

बी.एस.एन.एल. कर्मचारी एवं गणतंत्र दिवस की प्रासंगिकता

अभी–अभी संपूर्ण राष्ट्र में 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया है। भारत के हर नागरिक यहां तक की अबोध बच्चे भी तिरंगे झंडे की मर्यादा को समझने लगे हैं। यह तिरंगा कुर्बानियों का प्रतीक है। इस झंडे के लिए हजारों लोगों ने जान गवा दिए। हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और इस तिरंगे को हमने अपने राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया। देश को आजादी मिलने के बाद भी राष्ट्र के सामने एक सवाल खड़ा था कि इस राष्ट्र की आंतरिक एकता, संप्रभुता एवं अखंडता को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है। इस परिपेक्ष में तत्कालीन समस्त शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने गहन शोध, विचार–विमर्श कर 11 महीने 18 दिन तक लगातार प्रयास के बाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विशेष योगदान से राष्ट्र को एक अद्वितीय लिखित संविधान मिला। जिसने भारत राष्ट्र को सजाने संवारने,आपसी एकता, भाईचारा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक अधिकार के साथ ही एक व्यक्ति एक मतदान का अधिकार दिया। इन समस्त अधिकारों के साथ यह संविधान 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

इस संविधान के द्वारा राष्ट्र के संचालन के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। लोकतंत्र भारत के हर नागरिक के लिए प्राण वायु है तथा भारतीय संविधान रक्षा कवच के समान है। संविधान का चिंतन है कि भारत के हर नागरिक को चाहे वह समाज के अंतिम कतार में खड़ा हो, उसे उचित न्याय मिलेगा। परंतु अत्यंत पीड़ा के साथ यह उद्धृत करना पड़ रहा है कि राष्ट्र के निर्माण में 150 वर्षों से सेवारत भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को 1 अक्टूबर 2000 से निगम में परिवर्तित कर दिया गया। इस निगम का नाम भारत संचार निगम लिमिटेड रखा गया।

निगम के अस्तित्व में आने के पूर्व दूरसंचार विभाग के समस्त कर्मचारियों ने 6 से 8 सितंबर 2000 तक मुकम्मल हड़ताल किया। यह सत्य है कि उस समय तीन दिनों के लिए भारत में संवादहीनता रही और दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्र की धड़कन तीन दिनों के लिए बंद हो गई। सरकार और सरकारी तंत्र को झुकना पड़ा और तत्कालीन श्रमिक संगठन के नेताओं के साथ सरकार ने समझौता किया। सरकार ने कर्मचारियों के मांगों को मानते हुए लिखित समझौता किया, जिसकी प्रति सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

सरकार ने कर्मचारियों के नौकरी की सुरक्षा, पेंशन अधिनियम 1972 के तहत राजकोष से सरकारी पेंशन का भुगतान तथा बनने वाले निगम को आर्थिक रूप से जीवंत रखने का वादा किया परंतु आज की स्थिति में तीनों वादा छिन्न–भिन्न हो चुका है। कर्मचारी हतप्रभ है और अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कर्मचारी यह कहने को मजबूर हो रहे हैं कि क्या सरकारी विभाग से स्थानांतरित होकर तथा सरकार की पूर्ण गारंटी के साथ विकल्प देकर निगम में कार्य करने वाले कर्मचारियों की नागरिकता दूसरे दर्जे की हो जाती है? भारत की संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए जो न्याय पाने का अधिकार निहित है, उसे सरकारी निगम में काम करने वाले कर्मचारी वंचित हो जाएंगे? जब कर्मचारी अपने संगठनों के द्वारा न्याय की गुहार लगाते हैं तो उनकी आवाज की प्रतिध्वनि सिर्फ वही सुन पाते हैं। उनकी बातें कार्यपालिका एवं विधायिका के शीर्ष जनों के कान तक नहीं पहुंच पाती है या पहुंचने के बावजूद भी अनसुनी कर दी जाती है।

ऐसा देखा जाता है कि कर्मचारी अपने जायज अधिकारों के लिए थक हार कर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। वहां से उन्हें सामान्यतः राहत मिलती है परंतु उसको पाने में, वे अंदर से जर्जर हो जाते हैं। इसलिए कि देश में न्याय पाने के लिए भारी आर्थिक बोझ से गुजरना पड़ता है।

बीएसएनल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अतीत में दूरसंचार व्यवस्था के लिए किए गए समस्त कुर्बानियों को नजर अंदाज कर दिया गया। पूर्व की बातों को छोड़ दें तो 21वीं सदी के प्रारंभ होने के बाद भी दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों ने गांव–गांव तक दूर संचार सेवाओं को फैलाकर आम नागरिकों तक इसकी सुविधा उपलब्ध कराया है। निगम बनने के पूर्व ही देसी विदेशी धन्नासेठों की नजर दूरसंचार सेवाओं पर पड़ी और वे सरकार पर दबाव बनाकर इस सेवा में प्रवेश कर अकूत धन बटोरने के लिए अपनी व्यवस्था बनाई। जिसके तहत सरकार ने न केवल सरकारी विभाग को निगम में परिवर्तित कर दिया अपितु निजी कंपनियों को संचार सेवा प्रदान करने की लाइसेंस देकर सरकारी कंपनी को पीछे धकेलना का सुगम मार्ग प्रशस्त किया। आज सरकार ने उच्च तकनीक आधारित सेवाओं के लिए काफी धनराशि आवंटित की है, लेकिन उन आवंटित धनराशि के उपयोग के बावजूद बीएसएनएल कंपनी जो 2005 तक दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनियों में सर्वश्रेष्ठ थी, आज धराशाई हो चुकी है।

यह सत्य है कि यह सारी स्थिति सरकारी नीतियों के लागू करने के फलस्वरुप हुआ है। परंतु बीएसएनएल के सेवाओं में गिरावट के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों को दोषी ठहराया जाता है। यह अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति है कि इस सरकारी कंपनी को लगातार घाटा में चलने के कारणों में सबसे निचले पायदान के कर्मचारी कैसे दोषी हो सकते हैं? यह समझ से परे है और बीएसएनएल के कर्मचारी आज इसी उधेड़बुन में हैं कि सर्दी, गर्मी, बरसात के दिनों में भी अपने अधिकारियों के एक आदेश पर आठ घंटे तक जी–तोड़ मेहनत करते हैं। रविवार सहित कई सरकारी छुट्टियां रद्द कर दी जाती है फिर भी कहा जाता है कि राजस्व में क्षति का कारण बीएसएनएल के कर्मचारी ही हैं।

ज्ञातव्य है कि इस कंपनी में अस्थाई रूप से प्रतिनियुक्त उच्च पदस्थ अधिकारी जो बीएसएनएल में विकल्प देकर सामंजित होना उचित नहीं समझे, अपितु प्रतिनियुक्ति पर रहकर कार्य करना अपने हित में समझे, उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है और उस लाभ के कारण बढ़ी हुई धनराशि सहित उनके पूर्ण वेतन भत्ता का भुगतान बीएसएनएल कंपनी के द्वारा अर्जित राजस्व से किया जाता है। दूसरी तरफ विभाग में कार्यरत सबसे निचले स्तर के श्रमिक जो कैजुअल मजदूर एवं टेंपरेरी स्टेटस मजदूर के रूप में काम करते हैं, उनकी वेतन बढ़ोतरी 2010 के बाद नहीं की गई है। कहा जाता है कि बीएसएनएल कंपनी का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वैसे कर्मचारी लगभग ढाई हजार की संख्या में बचे हुए हैं। इन कर्मचारियों के अतिरिक्त दूसरे क्रम के निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगभग छब्बीस हजार है तथा तीसरे क्रम के जो कर्मचारी हैं, वह मध्य श्रेणी के अधिकारी संवर्ग में आते हैं, उनकी संख्या लगभग अठाईस हजार है। इन दो श्रेणी कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2017 से लंबित है।

पूर्व दूरसंचार मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने संसद के भीतर यह कहा था कि बीएसएनएल एक स्ट्रैटेजिक कंपनी है जिसका निजीकरण नहीं किया जा सकता और सरकार अपने तरफ से इस कंपनी के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सरकारी सूचनाओं से पता चलता है कि सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है और अभी तक सूचनाओं के आधार पर लगभग तीन लाख करोड रुपए सरकार ने इस कंपनी के पुनरुद्धार पर खर्च किए हैं। परंतु हालात में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। सन 2020 में कर्मचारियों पर अधिक खर्च होने के नाम पर अठहत्तर हजार से अधिक कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नाम पर बीएसएनल से बाहर कर दिया गया।

परंतु उसके बाद भी बीएसएनएल में वार्षिक राजस्व की औसतन स्थिति उसी प्रकार की है, जो वर्ष 2020 के पहले की थी। इससे प्रतीत होता है कि दूरसंचार मंत्रालय और भारत सरकार सही मायने में इस कंपनी के उत्थान के लिए चिंतित नहीं है, नहीं तो अगर दृढ़ता से भारत सरकार और दूरसंचार विभाग इस कंपनी का उत्थान करना चाहती है तो फिर लगातार यह कंपनी घाटे में क्यों रह रही है? क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई तंत्र है जो विवश कर्मचारियों की पीड़ा को समझ सके और उन्हें उचित न्याय दिला सके? क्या भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से बीएसएनएल में कार्य करने वाले कर्मचारी को वंचित रखना उचित है? अगर ऐसा नहीं है तो बीएसएनएल के अंदर कर्मचारियों से संबंधित सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाना, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बंद कर दिया जाना, वर्दी धारी कर्मचारियों का पिछले 10 वर्षो से वर्दी भत्ता या अन्य सुविधाओं को बंद कर दिया जाना, कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षा भत्ता का बंद कर दिया जाना, कर्मचारियों के वार्षिक वेतन बढ़ोतरी को बंद कर दिया जाना, 10 वर्षो के बाद भी वेतन पुनरीक्षण नहीं किया जाना, चिकित्सा सुविधा को लचर बनाना, कर्मचारी आवासों का रखरखाव नहीं करना, कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति को बंद कर देना, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दर्शाते हैं कि बीएसएनएल कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को राष्ट्रीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों से वंचित किया जा रहे हैं।

बीएसएनएल के कर्मचारी राष्ट्रीय विपदाओं में हमेशा सैन्य बल की तरह कार्य करते हैं। चाहे वह कोई भी राष्ट्रीय आपदा हो, उसमें बीएसएनएल के कर्मचारी सदैव आगे बढ़कर दूर संचार सेवाओं को जारी रखते हैं। जबकि अन्य निजी कंपनियां अपनी सेवाओं को बंद कर देती है। हर राष्ट्रीय विपदाओं के समय बीएसएनएल के कर्मचारी ने अपने समस्त आर्थिक कठिनाइयों को भूलाकर एक दिन का वेतन सरकारी कोष में दान स्वरूप दिया है। यहां तक की कोरोना काल में भी बीएसएनएल में कार्यरत 238 कर्मचारी, जो सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कोविड का शिकार हो गए, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए बीएसएनएल के कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन दान दिए हैं। इस प्रकार हर वक्त राष्ट्र के साथ खड़ा रहने वाले बीएसएनएल कर्मचारी सभी सुविधाओं को खोकर 2007 से निर्धारित वेतनमान पर कार्य करने को बाध्य हैं, जबकि उनकी पीड़ा यहीं समाप्त नहीं होती। सेवानिवृत हो जाने के बाद भी 10 वर्ष पूरा हो जाने पर भी इनको पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है।

उपरोक्त स्थिति में बीएसएनएल में कार्यरत मध्य श्रेणी के सभी अधिकारी एवं नन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के हित की रक्षा उनके अटूट एकता एवं अनवरत संघर्ष के सिवा कोई नहीं कर सकता। साथ ही सरकार को भी कार्यरत कर्मचारियों की उचित मांगों पर सापेक्ष विचार रखते हुए उनका समाधान करना चाहिए। आशा है कि सरकार इस विषय में ठोस कदम उठाएगी ताकि कर्मचारी दुगने उत्साह के साथ बीएसएनएल की सेवाओं को पूर्व की गौरव की स्थिति में पहुंचा सके।

एनएफटीईई जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद बीएसएनएल जिंदाबाद